

राज्यपाल सचिवालय  
राज भवन, जयपुर

क्रमांक एफ.1(26)आरबी / 2015 / ३३४।

दिनांक २५ मई, 2015

आदेश

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 5 मई, 2015 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या ३ में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों को देय ब्लॉक ग्राण्ट के फार्मूले तथा पेन्शन फण्ड संधारण में आ रही समस्याओं तथा राज्य सरकार द्वारा पेन्शन हेतु अनुदान के संबंध में विचार विमर्श हेतु निम्नांकित कमेटी गठित की जाती है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशु पालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर — संयोजक
4. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

उक्त कमेटी तीन माह की समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

( गिरी राज सिंह )  
प्रमुख सचिव,  
राज्यपाल, राजस्थान